

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी

रामनिवास वगैरह

प्रकरण : राजस्व वाद पत्र

बनाम

प्रतिवादीगण

जगदीशराम वगैरह

मुकदमा नं. 45/2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
02.03.2021	<p>यह वादपत्र वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी के अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन जवाबदेही बाबत तलब हो। पत्रावली दिनांक 02/03/2021 को वास्ते तलबी पेश हो।</p> <p><i>Handwritten note:</i> यह वादपत्र वादीगण ने एक साठपत्र पत्रावली काज पत्री पर लिखे जाने बाबत पेश किया। पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता व. जतिष्ठ किया कि पत्रावली के मध्य राजीनामा हो गया है। किसी प्रकार का विवाद नहीं होना बताया। साथ ही दस्तावेज वाद के जरिये विज्ञापित जारी किए जाने का निर्देश किया। अधिवक्ता को साबित पत्रावली किया जाता है। वाद तारी जरिये विज्ञापित जारी किया जाता है। मिनल अपने नम्बर ले कम दोष्य दायित्व देता है।</p>	<p><i>Handwritten signature:</i> रामनिवास</p> <p><i>Handwritten text:</i> Identifiable शर्ती</p> <p><i>Stamp:</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) जायल, जिल्ला नागौर</p>